2015 का विधेयक संख्यांक 37

[दि मोटर वेहिकल्स (अमेंडमेंट) बिल, 2015 का हिन्दी अनुवाद]

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2015

मोटर यान अधिनियम, 1988
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह 7 जनवरी, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1988 का 59

नई धारा 2क का अंत:स्थापन।

2. मोटर यान अधिनियम, 1988 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

ई-गाड़ी और ई-रिक्शा।

''2क. (1) धारा 7 की उपधारा (1) के परंतुक और धारा 9 की उपधारा (10) में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध इ-गाड़ी और ई-रिक्श को लागू होंगे।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''ई-गाड़ी या ई-रिक्शा'' से, भाड़े या पारिश्रमिक के लिए, यथास्थिति, माल या यात्रियों के वहन हेतु ऐसे विनिर्देशों के अनुसार, जो इस निमित्त विहित किए जाएं, विनिर्मित, सन्निर्मित या अनुकूलित, सुसज्जित और अनुरक्षित एक तीन पहियों वाला 4000 वाट् से अनधिक शक्ति का विशेष प्रयोज्य बैटरी शक्तियुक्त यान अभिप्रेत है।''।

धारा 7 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु इस उपधारा की कोई बात, ई-गाड़ी या ई-रिक्शा को लागू नहीं होगी।''।

धारा 9 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम में धारा 9 की उपधारा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— 5

''(10) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, ई-गाड़ी या ई-रिक्शा को चलाने के लिए चालन-अनुज्ञप्ति ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जारी की जाएगी जो विहित किए जाएं।''।

धारा 27 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 27 में,—

(i) खंड (क) को उसके खंड (कक) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार 10
पुनर्संख्यांकित खंड (कक) से पहले, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(क) धारा 2क की उपधारा (2) के अधीन ई-गाड़ी और ई-रिक्शा से संबंधित विनिर्देश;''।

(ii) खंड (च) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(चच) ऐसी रीति और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए चालन-अनुज्ञप्ति, धारा 9 की 15
उपधारा (10) के अधीन जारी की जा सकेगी;''।

निरसन और व्यावृति।

6. (1) मोटर यान (संशोधन) अध्यादेश, 2015 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 2015 का अध्यादेश संख्यांक 2

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन किसी व्यक्ति को तब तक कोई परिवहन यान चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जा सकती है जब तक कि उसने कम से कम एक वर्ष की अवधि तक चालन-अनुज्ञप्ति धारित न की हो। ई-रिक्शों और ई-गाड़ियों को तीन पहिये वाले और 4,000 वाट तक की सीमित शक्ति वाले यानों के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, गति और आयाम के लिए विनिर्देश को ऐसे नियमों द्वारा विनियमित किया जा सकता है, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन बनाए जा सकते हैं। इन यानों को ऐसे चालकों द्वारा चलाए जाने की अनुज्ञा दी जा सकेगी, जो परीक्षणों के माध्यम से ई-रिक्शों और ई-गाड़ियों को चलाने में पात्र पाए जाते हैं।

2. चूंकि अधिकतर ई-रिक्शों और ई-गाड़ियों के चालकों के पास कोई अनुज्ञप्ति नहीं है, अत:, वर्तमान उपबंध उनको एक वर्ष के लिए ई-रिक्शों, ई-गाड़ियों के प्रचालन को विवर्जित करेगा। इस कठिनाई को दूर करने और ई-रिक्शों तथा ई-गाड़ियों के चालन को सुकर बनाने के लिए केंद्रीय सरकार का मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 7 की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जो केवल ई-रिक्शा और ई-गाड़ी के चालकों को छूट देगा। इसके अतिरिक्त ई-रिक्शा और ई-गाड़ी की परिभाषा को भी, उक्त अधिनियम के अधीन सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है।

3. तदनुसार, ई-गाड़ियों और ई-रिक्शों के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्तियां अनुदत्त करने में छूट प्रदान करने के लिए धारा 7 की उपधारा (1) में एक परंतुक सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रस्ताव से तीन पहिये वाले और 4000 वाट से अनधिक की वृहत् शक्ति वाले परिवहन यान को चलाने हेतु शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी करने संबंधी शर्तों को शिथिल किया जाएगा।

4. मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 2 के पश्चात्, धारा 2क के अंत:स्थापन का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य ई-गाड़ी और ई-रिक्शा को मोटर अधिनियम 1988 की परिधि के अधीन लाना है। इससे ऐसे असंख्य लोगों को रोजगार मिलेगा जिन्हें हाथ से रिक्शा खींचने के स्थान से ऊपर उठकर विद्युत शक्ति से युक्त तीन पहिये वाले यानों को चलाना शुरू किया है।

5. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 9 में ऐसी रीति का जिसमें और ऐसी शर्तों का जिनके अधीन रहते हुए, ई-रिक्शा या ई-गाड़ी को चलाने के लिए चालन-अनुज्ञप्तियां जारी की जाएंगीं, विहित करने के लिए उपधारा (10) अंत:स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

6. लोक सभा ने मोटर यान (संशोधन)विधेयक, 2014 को 18 दिसंबर, 2014 को पारित कर दिया था। यह राज्य सभा में लंबित था। उक्त विधेयक के आधार पर, राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश, अर्थात् मोटर यान (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का 2) 7 जनवरी, 2015 को प्रख्यापित किया गया था।

7. यह विधेयक, उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है।

नई दिल्ली;
20 फरवरी, 2015

नितिन जयराम गडकरी

उपाबंध

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 59) से उद्धरण

* * * * * * *

कुछ यानों के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के दिए जाने पर निर्बंधन।

7. (1) किसी भी व्यक्ति को परिवहन यान चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने हल्का मोटर यान चलाने के लिए कम से कम एक वर्ष तक चालन अनुज्ञप्ति धारण नहीं है।

* * * * * * *

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

27. केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित की बाबत नियम बना सकेगी—

(क) धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्तें;

* * * * * * *

GMGIPMRND—4742LS(S3)—25.02.2015.

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2015 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
1	7	इ-गाड़ी और ई-रिक्श	ई-गाड़ी और ई-रिक्शा
1	11	अनधिक शक्ति का विशेष प्रयोज्य बैटरी शक्तियुक्त	अनधिक विद्युत शक्ति का विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त
2	3	उपधारा की कोई	उपधारा में अंतर्विष्ट कोई
2	6	धारा में किसी	धारा में अंतर्विष्ट किसी
3	5	सीमित शक्ति	सीमित विद्युत शक्ति
3	10	ई-रिक्शों, ई-गाड़ियों	ई-रिक्शा/ई-गाड़ियों
3	17	वृहत शक्ति	वृहत विद्युत शक्ति
3	19	2क के	2क की उपधारा (1) के
3	30	नितिन जयराम गडकरी	नितिन गडकरी